



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 144]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 13, 2009/श्रावण 22, 1931

No. 144]

NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 13, 2009/SRAVANA 22, 1931

भारतीय दन्त परिषद्

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 अगस्त, 2009

सं. डी. ई.-147-2009.—दन्तचिकित्सक अधिनियम, 1948 (1948 का 16वां) की धारा 10(4) अथवा धारा 10(5) के समर्थ पठित धारा 20 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा केन्द्रीय सरकार के पूर्व-अनुमोदन से भारतीय दन्त परिषद् निम्न विनियम बनाती है यथा :-

1. संक्षिप्त नाम एवं प्रवर्तन:

- (1) इन विनियमों को 'भारतीय दन्त परिषद्-स्क्रीनिंग परीक्षा विनियम, 2009' कहा जाएगा।
- (2) ये विनियम सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. परिभाषा: (1) इन विनियमों से जब तक अन्यथा अपेक्षित न हो—

- क. 'अधिनियम' का आशय दन्तचिकित्सक अधिनियम, 1948 (1948 का 16वां) से है;
- ख. 'परिषद्' का आशय भारतीय दन्त परिषद् (दन्तचिकित्सक अधिनियम, 1948 की धारा 3 के अधीन स्थापित) से है;
- ग. 'पंजीकरण' का आशय प्राथमिक दन्त अर्हता प्राप्त कर लेने के बाद भारत में अथवा विदेश में अधिनियम तथा उसके अधीन बनाए गए विनियमों में यथानिर्धारित व्यावहारिक प्रशिक्षण पूरा कर लेने के पश्चात् संबंधित राज्य दन्त परिषद् द्वारा रखे जा रहे दन्तचिकित्सक रजिस्टर में नामांकन के प्रयोजन से कराए जाने वाले पंजीकरण से है;
- घ. 'निर्धारित' का आशय इस अधिनियम के तहत बनाए गए विनियमों द्वारा निर्धारित से है;
- ड. 'निर्धारित प्राधिकारी' का आशय भारतीय दन्त परिषद् द्वारा केन्द्रीय सरकार के पूर्व-अनुमोदन से स्क्रीनिंग परीक्षा आयोजित करने के लिए प्राधिकृत किसी दन्त संस्थान अथवा किसी अन्य परीक्षा निकाय से है;
- च. 'प्राथमिक अथवा उच्चतर दन्त अर्हता' का आशय भारत से बाहर स्थित किसी ऐसे दन्त संस्थान द्वारा प्रदत्त दन्त अर्हता से है, जोकि उस देश में, जहां ऐसी अर्हता प्रदान करने वाला संस्थान स्थित है दन्त चिकित्सक के रूप में नामांकित किए जाने के लिए एक मान्यताप्राप्त अर्हता है तथा जो भारत में बीडीएस/एमडीएस डिग्री के समतुल्य है

- छ. 'अर्हक परीक्षा' का आशय ऐसी परीक्षा से है जिसमें भारत में समय-समय पर यथासंशोधित संबंधित पाठ्यक्रम विनियमों में यथानिर्धारित प्राथमिक अथवा उच्चतर दन्त पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए पात्र बनने के वास्ते अर्हता प्राप्त करना जरूरी है;
- ज. 'उच्चतर दन्त अर्हता' में दन्त सर्जरी में स्नातकोत्तर डिप्लोमा अथवा मास्टर डिग्री अथवा समय-समय पर केन्द्रीय सरकार के पूर्व-अनुमोदन से परिषद के मानदंडों के अनुसार समतुल्य दन्त अर्हता शामिल है।
- (2) इन विनियमों में प्रयुक्त शब्द और पद, जिन्हें इन विनियमों में परिभाषित नहीं दिया गया है लेकिन जिन्हें समय-समय पर यथासंशोधित दन्तचिकित्सक अधिनियम, 1948 में परिभाषित किया गया है उनका वही अर्थ लगाया जाएगा जोकि अधिनियम में उन्हें क्रमशः निर्दिष्ट किया गया है।

3. प्रयोजन: स्क्रीनिंग परीक्षा आयोजित करने का प्रयोजन केवल अभ्यर्थी के किसी राज्य दन्त परिषद में पंजीकरण कराने की पात्रता निर्धारित करने अथवा परिषद द्वारा इस संबंध में समय-समय पर विनिर्दिष्ट किसी अन्य प्रयोजन के लिए किया जाएगा तथा इसमें अर्हता प्राप्त कर लेने पर अभ्यर्थी को किसी भी तरह का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा।

4. प्रयोज्यता: ये विनियम भारत से बाहर स्थित किसी भी दन्त संस्थान द्वारा प्रदत्त किसी प्राथमिक दन्त अर्हता/स्नातकोत्तर डिप्लोमा/स्नातकोत्तर दन्त अर्हता के धारक किसी भी ऐसे भारतीय नागरिक के मामले में लागू होंगे जो किसी राज्य दन्त परिषद में पंजीकरण कराने का इच्छुक हो अथवा परिषद द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट किसी अन्य प्रयोजन के लिए लागू होंगे, इन विनियमों के सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को या उसके बाद अभ्यर्थी की स्थितिअनुसार दन्तचिकित्सक अधिनियम, 1948 के खंड 10(4) अथवा 10(5) के प्रावधानों के अनुसार इस प्रयोजन के लिए निर्धारित प्राधिकारी द्वारा आयोजित स्क्रीनिंग परीक्षा में अर्हता प्राप्त करनी होगी।

लेकिन शर्त यह है कि ऐसे सभी भारतीय छात्रों के मामले जिन्होंने परीक्षा पास कर ली है किन्तु जिनकी दन्त अर्हताएं/डिग्रियों को मान्यता प्रदान नहीं की गई है अथवा जिन्होंने इन विनियमों के सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को या उससे पहले विदेश में दाखिला ले लिया है, वे स्क्रीनिंग परीक्षा में बैठने के पात्र होंगे, भले ही वे संबंधित पाठ्यक्रम विनियमों में निर्धारित यूजी/पीजी पाठ्यक्रमों में दाखिला लेने के लिए पात्रता के मानदंडों की पूर्ति न करते हों।

और आगे शर्त यह है कि जिन भारतीय छात्रों ने इन विनियमों के सरकारी राजपत्र में प्रकाशन के बाद किसी विदेशी दन्त संस्थान से परीक्षा पास की है, उनके मामले में इस तथ्य के बावजूद कि उनकी विदेशी डिग्रियों को पहले से ही मान्यता दी जा चुकी है और वे दन्तचिकित्सक अधिनियम, 1948 की अनुसूची में शामिल की जा चुकी हैं, उन्हें स्क्रीनिंग परीक्षा में बैठना होगा।

शर्त यह है कि जिन भारतीय छात्रों ने निम्नलिखित विदेशी दन्त संस्थानों से स्नातकोत्तर दन्त अर्हता प्राप्त की है, उनके मामले में भारत में दन्तचिकित्सा का व्यवसाय करने के प्रयोजन से राज्य दन्त परिषद में अपनी स्नातकोत्तर अर्हता पंजीकृत कराने से पहले उन्हें स्क्रीनिंग परीक्षा में बैठने की जरूरत नहीं है:

"आस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम तथा संयुक्त राज्य अमरीका में प्रदत्त तथा जिस देश में उपर्युक्त अर्हता प्रदान करने वाला संस्थान स्थित है उसमें दन्तचिकित्सकों के रूप में नामांकित किए जाने के लिए मान्यताप्राप्त सभी स्नातकोत्तर दन्त अर्हताएं।"

5. पात्रता के लिए मानदंड: किसी भी व्यक्ति को उपरोक्त परीक्षा में बैठने की अनुमति तब तक नहीं होगी जब तक कि वह

- (क) भारत का नागरिक न हो तथा उसके पास ऐसी कोई प्राथमिक तथा उच्चतर दन्त अर्हता न हो जिसकी जिस देश में उपर्युक्त अर्हता प्रदान करने वाला संस्थान स्थित है उसमें दन्तचिकित्सक के रूप में नामांकित किए जाने के लिए संबंधित भारतीय दूतावास द्वारा एक मान्यताप्राप्त अर्हता के रूप में पुष्टि न की गई हो।

- (ख) उसने किसी भी विदेशी दन्त संस्थान में दाखिला लेने से पूर्व इन विनियमों में निर्धारित क्रियाविधि के अनुसार परिषद से 'पात्रता प्रमाण-पत्र' प्राप्त न कर लिया हो लेकिन यह शर्त ऐसे भारतीय नागरिकों के मामले में जरूरी नहीं होगी जिन्होंने अपनी दन्त अर्हता किसी विदेशी दन्त संस्थान से प्राप्त की हो अथवा जिन्होंने इन विनियमों के सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से पहले विदेशी दन्त संस्थान में दाखिला ले लिया हो।
- 6.(1) ऐसा प्रत्येक इच्छुक छात्र जो इन विनियमों में निर्धारित पात्रता मानदंडों की पूर्ति करता हो, सभी संगत जानकारी देते हुए ऐसे प्रपत्र में तथा परिषद द्वारा इस प्रयोजन के लिए समय-समय पर यथानिर्धारित शुल्क सहित आवेदन-पत्र प्रस्तुत करेगा तथा परिषद द्वारा ऐसा आवेदन-पत्र प्राप्त होने पर, परिषद स्क्रीनिंग परीक्षा में बैठने के लिए अभ्यर्थी के आंकलन के वास्ते प्रार्थी से जरूरी समझे जाने वाले अन्य विवरण मांग सकती है।
- (2) यदि आवेदन-पत्र त्रुटिपूर्ण है और उसमें कोई जरूरी विवरण नहीं दिए गए हैं, तो निर्धारित प्राधिकारी जरूरी दस्तावेज/जानकारी प्रस्तुत करने के लिए प्रार्थी को समुचित अवसर देने के बाद, आवेदन-पत्र को नामजूर कर देगा।
7. पात्रता मानदंडों में उल्लिखित तत्वों को दृष्टिगत रखते हुए अथवा अन्यथा, आवेदन-पत्र की जांच कर लेने के बाद निर्धारित प्राधिकारी ऐसे अभ्यर्थी को स्क्रीनिंग परीक्षा में बैठने की उसकी पात्रता के बारे में लिखित रूप से सूचित करेगा।
8. **शुल्क संरचना:**
- (क) एमडीएस पाठ्यक्रम/स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम के लिए परीक्षा शुल्क 75,000 रुपए (मात्र पिछत्तर हजार रुपए)।
- (ख) बीडीएस पाठ्यक्रम के लिए परीक्षा शुल्क 50,000 रुपए (मात्र पचास हजार रुपए)।
- (ग) एमडीएस/स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम के मामले में दूसरे तथा तीसरे प्रयास के वास्ते अभ्यर्थी को 35,000 रुपए (मात्र पैंतीस हजार रुपए) तथा बीडीएस पाठ्यक्रम के मामले में 25,000 रुपए (मात्र पचीस हजार रुपए) का शुल्क देना होगा।
- (घ) शुल्क का भुगतान सचिव, भारतीय दन्त परिषद के नाम नई दिल्ली में देय डिमांड ड्राफ्ट के रूप में करना होगा।
9. निर्धारित प्राधिकारी, उसके द्वारा समय-समय पर घोषित विस्तृत योजना के अनुसार स्क्रीनिंग परीक्षा का आयोजन करेगा। इन विनियमों में उल्लिखित सभी बातों के बावजूद निर्धारित प्राधिकारी, जैसा उचित समझे उसके अनुसार परीक्षा के समय, तारीख तथा स्थान आदि में फेर-बदल कर सकता है।
10. निर्धारित प्राधिकारी द्वारा यथाघोषित परीक्षा समय-सूची के अनुसार स्क्रीनिंग परीक्षा वर्ष में एक या दो बार (आवेदन-पत्रों की संख्या पर निर्भर करते हुए) आयोजित की जाएगी। परीक्षा आयोजित करने की प्रक्रिया निर्धारित प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर घोषित की जाने वाली योजना के अनुरूप होगी।
11. स्क्रीनिंग परीक्षा का परीक्षण नमूना: स्क्रीनिंग परीक्षा में निम्न प्रश्न-पत्र शामिल होंगे और प्रत्येक प्रश्न-पत्र में, उसके सामने दर्शाए गए अंक होंगे।

L. एमडीएस पाठ्यक्रम

प्रश्न-पत्र	विषय	अवधि	न्यूनतम अंक
प्रश्न-पत्र I	अप्लाइड बेसिक साइन्स	2 घंटे	100
प्रश्न-पत्र II	संबंधित नैदानिक विशेषज्ञता	2 घंटे	150
प्रश्न-पत्र III	मौखिक परीक्षा	1/2 घंटा	50

II. स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम

प्रश्न-पत्र	विषय	अवधि	न्यूनतम अंक
प्रश्न-पत्र I	मूल चिकित्सा तथा दन्त विज्ञान	2 घंटे	100
प्रश्न-पत्र II	संबंधित नैदानिक विशेषज्ञता	2 घंटे	150
प्रश्न-पत्र III	मौखिक परीक्षा	1/2 घंटा	50

अनिवार्य नैदानिक प्रशिक्षण

जो अभ्यर्थी अपनी एमडीएस डिग्री/स्नातकोत्तर डिप्लोमा की मान्यता के लिए स्क्रीनिंग परीक्षा में अर्हता प्राप्त कर लेता है परीक्षा पास किए जाने के लिए उसे आवश्यक प्रमाण-पत्र जारी किए जाने से पूर्व उसे भारतीय दन्त परिषद द्वारा इस प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट किसी दन्त संस्थान से संबंधित विशेषज्ञता में किसी विशेषज्ञ के मार्गदर्शन में 12 सप्ताह की अवधि का अनिवार्य नैदानिक प्रशिक्षण पूरा करना होगा।

III. बीडीएस पाठ्यक्रम

प्रश्न-पत्र	विषय	अवधि	न्यूनतम अंक
प्रश्न-पत्र I	मूल चिकित्सा विज्ञान	2 घंटे	100
प्रश्न-पत्र II	दन्त विज्ञान	2 घंटे	150
प्रश्न-पत्र III	मौखिक परीक्षा	1/2 घंटा	50

टिप्पणी: (1) स्क्रीनिंग परीक्षा का पाठ्य-विवरण परिषद के समय-समय पर यथासंशोधित बीडीएस, स्नातकोत्तर डिप्लोमा तथा एमडीएस पाठ्यक्रम विनियमों के अनुसार होगा।

(2) स्क्रीनिंग परीक्षा में अर्हताप्राप्त करने के लिए प्रत्येक प्रश्न-पत्र में न्यूनतम अर्हक अंक 50% होंगे। न्यूनतम अर्हक अंक की शर्त, बिना किसी अपवाद के सभी श्रेणियों के अभ्यर्थियों के मामले में लागू होगी।

(3) परीक्षा का माध्यम अंग्रेजी भाषा होगी।

(4) लिखित परीक्षा में ऐसे न्यूनतम अर्हक अंक प्राप्त करने वाले व्यक्ति को मौखिक परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा।

12. परीक्षा में बैठने और उसे पास करने के लिए अभ्यर्थी को तीन अवसर दिए जाएंगे। परीक्षा में वस्तुतः बैठने का आशय एक अवसर से होगा। यदि अभ्यर्थी परीक्षा में तीसरी बार बैठने पर भी पास नहीं हो पाता है तो वह किसी भी राज्य दन्त परिषद में पंजीकरण कराने का पात्र नहीं होगा/होगी।

13. विदेशी दन्त अर्हताओं की समतुल्यता:

(1) भारतीय विश्वविद्यालयों द्वारा प्रदत्त अर्हता के साथ विदेशी दन्त अर्हता की समतुल्यता के लिए केवल पूर्णकालिक इन-हाउस पाठ्यक्रमों पर विचार किया जाएगा।

(2) 5 वर्ष की न्यूनतम अवधि वाली प्राथमिक दन्त अर्हता भारतीय विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त बीडीएस डिग्री के समतुल्य होगी। तथापि यदि किसी अभ्यर्थी ने इन विनियमों के प्रकाशन की तारीख को या उससे पूर्व किसी विदेशी संस्थान से पहले ही परीक्षा पास कर रखी हो तो उसके मामले में अवधि में ढील दी जा सकती है।

(3) 2 वर्ष की न्यूनतम अवधि वाली उच्चतर दन्त अर्हता भारतीय विश्वविद्यालय द्वारा संबंधित विषय में प्रदत्त स्नातकोत्तर डिप्लोमा के समतुल्य अतिरिक्त अर्हता होगी।

(4) 3 वर्ष की अवधि वाली उच्चतर दन्त अर्हता भारतीय विश्वविद्यालय द्वारा संबंधित विषय में प्रदत्त एमडीएस डिग्री के समतुल्य होगी।

14. निर्धारित प्राधिकारी अभ्यर्थी, राज्य दन्त परिषद को स्क्रीनिंग परीक्षा के परिणाम सूचित करेगा। असफल अभ्यर्थियों को भी समुचित रूप से सूचित किया जाएगा। स्क्रीनिंग परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी राज्य दन्त परिषद के पक्ष में अपेक्षित शुल्क सहित अपने पंजीकरण के लिए राज्य दन्त परिषद को आवेदन कर सकते हैं। राज्य दन्त परिषदें ऐसे सफल अभ्यर्थियों को पंजीकरण प्रमाण-पत्र जारी करेंगी।

15. ऐसा व्यक्ति जो भारत का नागरिक है और जो किसी विदेशी संस्थान से कोई ऐसी प्राथमिक/उच्चतर दन्त अर्हता प्राप्त कर लेता है जो इन विनियमों के प्रकाशन की तारीख के बाद उस देश में दन्तचिकित्सकों के रूप में नामांकित किए जाने के प्रयोजन से मान्यताप्राप्त है तो वह राज्य दन्त परिषद द्वारा रखे जाने वाले दन्तचिकित्सकों के किसी भी रजिस्टर में नामांकित किए जाने का पात्र होगा, यदि वह स्क्रीनिंग परीक्षा पास कर लेता/लेती है तथा ऐसे व्यक्ति द्वारा उपर्युक्त स्क्रीनिंग परीक्षा पास कर लेने के बाद ऐसी विदेशी प्राथमिक अथवा उच्चतर दन्त अर्हता को, ऐसे व्यक्ति के मामले में दन्तचिकित्सक अधिनियम के प्रयोजनों के लिए मान्यताप्राप्त दन्त अर्हता समझा जाएगा।

16. भारत से बाहर किसी प्राधिकरण/संस्थान में दाखिले से पूर्व 'पात्रता मानदंड' प्राप्त करने की क्रियाविधि

(1) ऐसा व्यक्ति जो भारत का नागरिक है और जिसके पास भारत से बीडीएस पाठ्यक्रम/स्नातकोत्तर डिप्लोमा/एमडीएस पाठ्यक्रम अथवा विदेश से किसी समतुल्य परीक्षा में दाखिले के लिए भारतीय दन्त परिषद के संबंधित पाठ्यक्रम विनियमों में यथानिर्धारित न्यूनतम अर्हता है और वह किसी विदेशी दन्त संस्थान में ऐसा कोई पाठ्यक्रम करने का इच्छुक है तो वह इन विनियमों के सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख को या उसके बाद इस प्रयोजन के लिए पात्रता प्रमाण-पत्र जारी किए जाने के वास्ते परिषद को आवेदन कर सकता है।

(2) पात्रता प्रमाण-पत्र जारी किए जाने के लिए अभ्यर्थी अपना आवेदन-पत्र परिषद द्वारा समय-समय पर निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत करेगा तथा उसके साथ निम्न दस्तावेजों की सत्यापित फोटोकॉपियां भेजी जाएंगी:

- (1) सचिव, भारतीय दन्त परिषद के पक्ष में नई दिल्ली में देय 1000 रुपए का अप्रतिदेय शुल्क;
- (2) दसवीं पास करने के प्रमाण-पत्र की प्रति (जन्म-तिथि के लिए);
- (3) 10+2 पास करने के प्रमाण-पत्र की प्रति;
- (4) 10+2 परीक्षा की अंक-तालिका;
- (5) यदि अर्हक परीक्षा में जन्म-तिथि दर्ज नहीं है तो जन्म-तिथि के प्रमाण के रूप में एक प्रमाण-पत्र;
- (6) यदि स्नातकोत्तर डिप्लोमा/स्नातकोत्तर डिग्री पाठ्यक्रम में दाखिला लिया जाना है तो प्राथमिक दन्त अर्हता की प्रति।
- (7) स्थानबद्ध प्रशिक्षण (यदि विदेश में किया गया हो तो) की प्रति;
- (8) कोई ऐसा अन्य संगत दस्तावेज/विवरण जोकि निर्धारित प्राधिकारी जरूरी समझे।

टिप्पणी: (1) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग से संबंधित अभ्यर्थी को सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए जाति प्रमाण-पत्र की प्रति प्रस्तुत करनी होगी।

(2) प्राथमिक दन्त अर्हता अथवा किसी अन्य दस्तावेज की, यदि वह अंग्रेजी/हिंदी से इतर किसी भाषा में हो अधिप्रमाणित अनूदित प्रतियां (अंग्रेजी/हिंदी में)।

2960 GI/09-2

- (3) अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन-पत्र में दिए गए तथ्यों की सत्यता की जांच करने तथा इस संबंध में अभ्यर्थी से कोई अन्य संगत जानकारी/दस्तावेज मांगने के लिए परिषद स्वतंत्र होगी और यदि ऐसी जांच के दौरान अथवा बाद में किसी समय अभ्यर्थी द्वारा दी गई कोई जानकारी अशुद्ध अथवा मिथ्या पाई जाती है तो परिषद प्रमाण-पत्र जारी करने से मना कर सकती है अथवा यदि ऐसा प्रमाण-पत्र पहले ही जारी किया जा चुका हो तो उसे रद्द कर सकती है और उस स्थिति में अभ्यर्थी को किसी भी सूचना के बिना स्क्रीनिंग परीक्षा में बैठने से वंचित कर दिया जाएगा। इस संबंध में परिषद का निर्णय अंतिम होगा।
- (4) परिषद पात्रता प्रमाण-पत्र के लिए आवेदन-पत्र पर विचार करेगी और परिषद के विनियमों के अनुसार निम्न जानकारी का सत्यापन करेगी:
- (i) क्या अभ्यर्थी परिषद द्वारा निर्धारित आयु मानदंड की पूर्ति करता है?
- (ii) क्या अभ्यर्थी समय-समय पर यथासंशोधित परिषद के संबंधित पाठ्यक्रम विनियमों में पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए यथानिर्धारित पात्रता मानदंडों की पूर्ति करता है।
- (5) भारतीय दन्त परिषद इन विनियमों के विनियम 16 के उप-विनियम (4) के अनुसार आवेदन-पत्र का मूल्यांकन करेगी और यदि ऐसे मूल्यांकन के बाद ऐसा पाया जाता है कि अभ्यर्थी, संबंधित पाठ्यक्रम विनियमों के अनुरूप पात्रता मानदंडों की पूर्ति करता है तो परिषद, भारतीय दन्त परिषद द्वारा समय-समय पर निर्धारित प्रपत्र में यह प्रमाणित करते हुए अभ्यर्थी को पात्रता मानदंड जारी करेगी कि वह स्थितिअनुसार प्राथमिक या उच्चतर दन्त अर्हता प्राप्त करने के लिए भारत से बाहर किसी दन्त संस्थान में दाखिला लेने का पात्र है। प्रमाण-पत्र में यह निर्दिष्ट किया जाएगा कि उक्त विदेशी अर्हता प्राप्त कर लेने के बाद अभ्यर्थी को, इन विनियमों में निर्धारित शर्तों की पूर्ति के अध्यक्षीन एक स्क्रीनिंग परीक्षा में बैठना होगा और यह कि यह परीक्षा पास करने के बाद वह पंजीकरण कराने अथवा भारतीय दन्त परिषद द्वारा समय-समय पर यथानिर्धारित किसी/किन्हीं अन्य प्रयोजन (प्रयोजनों) के लिए पात्र होगा।
- (6) यदि अभ्यर्थी उपर्युक्त मानदंडों में से किसी एक मानदंड की पूर्ति नहीं करता है तो परिषद पात्रता प्रमाण-पत्र जारी किए जाने के लिए आवेदन-पत्र नामंजूर कर सकती है और तत्संबंधी कारणों का लिखित रूप में उल्लेख करेगी। किसी अभ्यर्थी को पात्रता मानदंड जारी किया जाना अभ्यर्थी को किसी विदेशी दन्त संस्थान में अवर-स्नातक/स्नातकोत्तर डिप्लोमा/एमडीएस पाठ्यक्रम में दाखिले को छोड़कर किसी भी तरह के किसी अन्य अधिकार का पात्र नहीं बनाएगा।

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) डॉ. पी. एन. अवस्थी, सचिव

[विज्ञापन III/4/असा./98/09]

DENTAL COUNCIL OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th August, 2009

No. DE-147-2009.—In exercise of the powers conferred by section 20 read with Section 10(4) or 10(5) of the Dentists Act, 1948(16 of 1948), the Dental Council of India, with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following regulations, namely:-

1. Short title and commencement :

- (1) These regulations may be called the 'Dental Council of India Screening Test Regulations, 2009'.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions:-

- (1) In these Regulations, unless the context otherwise requires:-
 - a. "Act" means the Dentists Act, 1948 (16 of 1948);
 - b. "Council" means the Dental Council of India constituted under section 3 of the Dentists Act, 1948;
 - c. "Registration" means registration for the purpose of enrolment on the register of dentists maintained by the respective State Dental Council after obtaining the Primary Dental qualification followed by completion of such practical training as prescribed either in India or abroad as per the provisions of the Act and Regulations made thereunder.
 - d. "Prescribed" means prescribed by regulations made under this Act;
 - e. "Prescribed Authority" means a dental institution or any other examining body authorized by the Dental Council of India with the prior approval of Central Government to conduct Screening Test.
 - f. "Primary or Higher Dental qualification" means a Dental qualification awarded by any dental institution outside India which is a recognized qualification for enrolment as Dental practitioner in the country in which the institution awarding the said qualification is situated and which is equivalent to BDS/MDS degree in India;
 - g. "Qualifying examination" means the examination to be qualified to become eligible for admission to primary or higher dental courses in India as prescribed in the respective Course Regulations as amended from time to time.
 - h. "Higher dental qualification" includes PG Diploma or Master of Dental Surgery or equivalent dental qualification as per the norms of the Council with the previous approval of the Central Government may specify from time to time.
- (2) Word and phrases used in these Regulations and not defined but defined in the Dentists Act, 1948, as amended from time to time, shall have the same meaning respectively assigned to them in the Act.

3. Purpose:- The purpose of conducting the screening test shall be only to determine the eligibility of a candidate for his or her registration with any State Dental Council or for any other purpose as the Council may specify in this regard from time to time and qualifying the same shall not confer any other right, whatsoever, on a candidate

4. **Applicability:-** These regulations shall be applicable to those Indian citizen possessing a primary dental qualification/PG Diploma/Post Graduate Dental qualification awarded by any dental institution outside India, who is desirous of getting registration with any State Dental Council or of any other purpose as specified by the Dental Council of India from time to time, on or after the date of publication of these regulations in the official gazette, shall have to qualify a screening test conducted by the prescribed authority for that purpose as per the provisions of section 10(4) or 10(5) of the Dentist Act, 1948, as the case may be.

Provided that all Indian students who have passed out but their dental qualifications/ degrees have not been recognised or who have taken admission abroad on or before the date of publication of these regulations in the official gazette, shall also be eligible to appear in the screening Test even if they do not meet the minimum eligibility criteria for admission for joining UG/PG Courses prescribed in respective Course Regulations.

Provided further that the Indian students who have passed out from a foreign dental institution after the publication of these regulations in official gazette shall, notwithstanding that their foreign dental degrees are already recognised and included in the Schedule to the Dentists Act, 1948, have to appear in the screening Test

Provided that the Indian students who have passed out P.G. Dental qualification from the following foreign dental institutions, need not appear in the Screening Test before registering their PG qualification in the State Dental Council to practice dentistry in India:-

"All post graduate dental qualifications awarded in Australia, Canada, New Zealand, United Kingdom & United States of America and recognised for enrolment as dental practitioners in the concerned specialities in those countries."

5. **Eligibility Criteria:** No person shall be allowed to appear in the screening test unless:

- (a) he/she is a citizen of India and possesses any primary Dental qualification or higher dental qualification confirmed by the Indian Embassy concerned to be a recognised qualification for enrolment as Dental practitioner in the country in which the institution awarding the said qualifications is situated;
 - (b) He/she had obtained 'Eligibility Certificate' prior to his/her admissions in any foreign dental institution from the Council in accordance with the procedure laid down in these regulations but this requirement shall not be necessary in respect of Indian citizens who have acquired his/her dental qualifications from foreign dental institution or have got admissions in foreign Dental institution before the date of publication of these regulations in the official gazette
6. (1) Every desirous candidate fulfilling the eligibility criteria laid down in these Regulations shall submit his/her application in such form containing relevant particulars and accompanied with such fee as may be prescribed from time to time for the purpose, and on receipt of the application by the Council, it may obtain such other particulars as may be considered necessary from the applicant for the assessment of the candidate for appearing in the Screening test;
- (2) In case, the application is defective and does not contain any necessary particulars, the prescribed authority, after giving a reasonable opportunity to the applicant to furnish the requisite documents/information, may reject the application.
7. The prescribed authority shall, after scrutinizing the application having regard to the factors referred to in the eligibility criteria or otherwise, inform such candidate in writing about his /her eligibility to appear in Screening Test and shall issue the Admission Card to such eligible candidate accordingly.

8 **Fee Structure:**

- a) Examination fee Rs. 75,000/- (Rupees Seventy Five Thousand only) for MDS Course/PG Diploma Course.
- b) Examination fee Rs. 50,000/- (Rupees ~~50,000~~ Thousand only) for BDS Courses.
- c) For 2nd and 3rd attempt, the candidate is required to pay Rs. 35,000/- (Rupees Thirty Five Thousand only) for MDS Course/PG Diploma Course and Rs.25,000/- (Rupees Twenty Five Thousand only) per attempt for BDS Course.

- d) The fees have to be paid by a demand draft in favour of Secretary, Dental Council of India payable at New Delhi.

9. The prescribed authority shall conduct the Screening Test in accordance with the detailed scheme announced by it from time to time. Notwithstanding anything contained in these Regulations, the prescribed authority may revise the time, date and venue of examination etc. prescribed in the scheme as it may think fit.

10. The screening test may be conducted once or twice a year (depending upon the number of applications) as per the Schedule of examination announced by the Prescribed Authority. The procedure of conducting the test shall be in accordance with the scheme to be announced by prescribed authority from time to time.

11. **Examination Pattern of Screening Test:** The Screening Test shall include the following papers and each paper shall carry the number of marks as shown against each :-

I. MDS Course

Paper	Subject	Duration	Minimum Marks
Paper-I	Applied Basic Sciences	2 Hour	100
Paper-II	Concerned Clinical Speciality	2 Hour	150
Paper-III	Viva-voce	½ Hour	50

II. PG Diploma Course

Paper	Subject	Duration	Minimum Marks
Paper-I	Basic Medical and Dental Science	2 Hour	100
Paper-II	Concerned Clinical Speciality	2 Hour	150
Paper-III	Viva-voce	½ Hour	50

Compulsory Clinical Training

The candidate who qualifies the Screening Test for recognition of his MDS Degree/ PG Diploma shall, before issue of the necessary passing certificate to him/her, have to undergo a compulsory clinical competence training for a period of 12 weeks under the guidance of a specialist in the concerned speciality at a dental institution specified by the Dental Council of India for the purpose.

III. BDS Course

Paper	Subject	Duration	Minimum Marks
Paper-I	Basic Medical Science	2 Hour	100
Paper-II	Dental Science	2 Hour	150
Paper-III	Viva-voce	½ Hour	50

Note: - (1) Syllabus for the Screening Examination shall be as per the Council's BDS, PG Diploma and MDS Courses Regulations as amended from time to time.

- (2) To qualify the Screening Test, the minimum pass marks shall be 50% in each paper. The minimum qualifying marks shall apply to all categories of candidates without any exception.
- (3) The language of the test shall be English.
- (4) The person who obtains such minimum qualifying marks in the written Test shall be called for Viva-voce.

12. A candidate may avail of maximum three chances to appear and pass the test. Actual appearance at the test will constitute an attempt. If he/she does not qualify even in his/her 3rd appearance in the test, the candidate will not be eligible for registration by any State Dental Council.

2960 GI/09-3

13. Equivalency of foreign dental qualifications :-

- (1) Only full time in-house courses shall be considered for equivalence of foreign dental qualification to the qualification awarded by the Indian universities.
- (2) The Primary Dental Qualification with the minimum duration of 5 years shall be equivalent to BDS Degree awarded by an Indian university. However, this duration may be relaxed in case of candidate already passed out from foreign institution on or before the date of publication of these regulations
- (3) The higher Dental Qualification with the minimum duration of 2 years shall be additional qualification equivalent to PG Diploma awarded by an Indian university in concerned speciality.
- (4) The higher dental qualification with the duration of 3 years shall be equivalent to MDS Degree awarded by an Indian university in concerned speciality.

14. The Prescribed Authority shall intimate the result of the Screening Test to the candidate, State Dental Councils. The unsuccessful candidates shall also be appropriately informed. The candidates who qualify the Screening Test may apply to the State Dental Council for their registration along with the requisite registration fee in favour of the State Dental Council. The State Dental Councils shall issue registration to such successful candidates.

15. A person who is a citizen of India and obtains primary/higher dental qualification from any foreign institution which is recognized for enrolment as a dentists in that country after the date of publication of these Regulations shall be entitled to be enrolled on any register of dentists maintained by a State Dental Council, if he/she qualifies the screening test and such foreign primary or higher dental qualification, after such person qualifies that said screening test, shall be deemed to be the recognized dental qualification for the purposes of the Dentists Act in respect of that person.

16. Procedure for obtaining the 'Eligibility Certificate' prior to admissions in any authority/institution outside India:

- (1) The person who is an Indian citizen and possesses the minimum qualification for admission in BDS Course/PG Diploma/MDS Course as prescribed in Dental Council of India's respective Course Regulations, from India or an equivalent examination from abroad and is desirous of joining one of these Courses in any foreign Dental institution, shall, on or after the date of notification of these Regulations in official gazette, apply the Council for issue of an Eligibility Certificate for that purpose;
- (2) The request for issue of Eligibility Certificate shall be made by the candidate in the proforma prescribed by the Council from time to time and shall be accompanied by the attested photocopies of following documents :-
 - (1) A non-refundable fee of Rs.1000/- by Demand Draft in favour of Secretary, Dental Council of India, New Delhi;
 - (2) Copy of 10th passing certificate (for date of birth)
 - (3) Copy of 10+2 passing certificate
 - (4) Copy of 10+2 mark sheet
 - (5) A certificate as a proof of date of birth, if it is not recorded in the certificate of the qualifying examination.
 - (6) Copy of primary Dental qualification, If admission is sought for PG Diploma/PG Degree Courses.
 - (7) Copy of internship certificate (if done abroad)
 - (8) Any other relevant documents/information/ particulars as the prescribed authority may consider necessary

Note: (1) A candidate belonging to Scheduled Caste/Schedule Tribe/Other Backward Class shall produce a caste certificate issued by Competent Authority.

- (2) Authenticated translated copies (in English/Hindi) of primary Dental qualification or of any other document, if the same is in language other than English/Hindi.
- (3) The Council shall be free to investigate on its own about the correctness of information furnished by the candidate in his/her application and/or call for any other relevant information/ document in this regard from the candidate and in the event of any information furnished by the candidate being found to be incorrect or false during such investigation or at any subsequent stage, the Council may refuse to issue the eligibility certificate or if already issued, may cancel the same and he/she shall stand debarred from appearing in the screening test without any notice. The decision of the Council in this regard shall be final.
- (4) The Council shall consider the application for the Eligibility Certificate and verify the following details as per the Regulations of the Council –
 - (i) Whether the candidate fulfils the age criterion prescribed by the Council?
 - (ii) Whether the candidate fulfils the eligibility criteria for admission to that Course in India as prescribed in the Council's respective Course Regulations, as amended from time to time.
- (5) The Dental Council of India shall evaluate the application of the candidate in terms of sub-regulation (4) of Regulations 16 of these Regulations, and after such evaluation, if the candidate is found to fulfil the eligibility criteria in conformity with respective Course Regulations, the Council shall issue an Eligibility Certificate in the format prescribed from time to time by the Dental Council of India, to the candidate certifying that he/she is eligible to join a dental institution outside India to obtain Primary or higher dental qualification, as the case may be. The certificate shall indicate that after obtaining that foreign dental qualification, the candidate shall have to undergo a screening test, subject to fulfilment of the conditions prescribed in these Regulations and that passing this test shall entitle him for registration or for any other specific purpose (s) specified by the Dental Council of India, from time to time.
- (6) In case, the candidate does not fulfil any of the above criteria, the Council may reject his application for issue of Eligibility Certificate giving the reasons recorded in writing therefor. The issue of an eligibility certificate to a candidate shall not entitle him to any right, whatsoever, other than to take admission in UG/PG Diploma/MDS Courses in a foreign dental institution.

Maj. Gen. (Retd.) Dr. P. N. AWASTHI, Secy.

[ADVT III/4/Exty./98/09]



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 311]

नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 8, 2010/अग्रहायण 17, 1932

No. 311]

NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 8, 2010/AGRAHAYANA 17, 1932

भारतीय दंत्य परिषद्

संशोधन अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 दिसम्बर, 2010

सं. डीई-147-2010.—दंतचिकित्सक अधिनियम 1948 (1948 का 16) की धारा 10(4) अथवा 10(5) के साथ पठित धारा 20 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय दंत्य परिषद्, केन्द्र सरकार के पूर्व-अनुमोदन से, भारत के राजपत्र भाग—III खंड (4) में 13 अगस्त, 2009 को प्रकाशित प्रधान "भारतीय दंत्य परिषद् जांच परीक्षा विनियम, 2009" में और संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात्:

1. लघु शीर्षक तथा प्रवर्तन

- (i) इन विनियमों को "जांच परीक्षा (पहला संशोधन) विनियम, 2010 कहा जाएगा।
- (ii) ये सरकारी राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. प्रधान भारतीय दंत्य परिषद् जांच परीक्षा विनियम, 2009 के विनियम 2 में शीर्षक 'परिभाषा' के अंतर्गत उप-विनियम (2) के पश्चात निम्नलिखित नए उप-विनियम (3) को जोड़ा गया है अर्थात्:—

"(3) शब्द 'भारत का विदेशी नागरिक' (ओसीआई) तथा 'भारतीय मूल का व्यक्ति' (पीआईओ) का अर्थ क्रमशः वही होगा जोकि उन्हें नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 7ए और गृह मंत्रालय द्वारा समय-समय पर यथासंशोधित दिनांक 19.8.2002 की इसकी अधिसूचना संख्या 26011/4/98—एफ.1 के माध्यम से अधिसूचित 'भारतीय मूल के व्यक्तियों का कार्ड जारी करने संबंधी स्कीम 2002' नामक स्कीम में निर्धारित किया गया है।"

3. (i) विनियम 4 में शीर्षक 'उपयुक्तता' के अंतर्गत पहली लाइन में शब्द "भारतीय नागरिक" के पश्चात निम्नलिखित शब्दों को जोड़ा जाएगा:—
"अथवा भारतीय मूल का व्यक्ति (पीआईओ) अथवा भारत का विदेशी नागरिक (ओसीआई)"
- (ii) विनियम 4 के पहले, दूसरे और तीसरे परंतुक में पहली लाइन में शब्द "भारतीय विद्यार्थी" के पश्चात निम्नलिखित शब्द जोड़े जाएंगे:—

"अथवा भारताय मूल का व्यक्ति (पीआईओ) अथवा भारत का विदेशी नागरिक (ओसीआई)"

- (iii) भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 में 13.8.2009 को अधिसूचित एवं प्रकाशित प्रधान भारतीय दंत्य परिषद जांच परीक्षा विनियम, 2009 की क्रम संख्या 144 पर दिए गए विनियम संख्या 4 के परंतुक 3 को एतद्वारा हटाया जाता है।
4. प्रधान भारतीय दंत्य परिषद जांच परीक्षा विनियम, 2009 के विनियम संख्या 5 खंड (क) की समाप्ति पर एतद्वारा निम्नलिखित प्रावधानों को जोड़ा जाता है:-
"और इस प्रकार की संस्था को या तो विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) अथवा जनरल डेंटल काउंसिल, लंदन की डायरेक्टरी में सूचीबद्ध होना चाहिए।"
5. विनियम 5(क) में पहली लाइन में शब्द "भारत के नागरिक" के पश्चात निम्नलिखित शब्दों को जोड़ा जाएगा:-
"अथवा भारतीय मूल का व्यक्ति (पीआईओ) अथवा भारत का विदेशी नागरिक (ओसीआई)"
6. प्रधान भारतीय दंत्य परिषद जांच परीक्षा विनियम, 2009 के विनियम 8 में शीर्षक "शुल्क संरचना" के अंतर्गत खंड (घ) के पश्चात निम्नलिखित नए खंड (ड.) को जोड़ा जाएगा अर्थात:-
"(ड.) आवेदक द्वारा एक बार भारतीय दंत्य परिषद को दे दिया गया "शुल्क" केवल उन्हीं आवेदकों को वापस किया जाएगा जोकि इन विनियमों में निर्धारित किए गए अनुसार विहित प्राधिकारी द्वारा आयोजित किए जाने वाली जांच परीक्षा में बैठने संबंधी पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करते हैं अथवा जिनका आवेदन संबंधित प्राधिकारियों द्वारा समय-समय पर बनाए गए विनियमों और स्कीम के अनुसार अपूर्ण हो।"
7. विनियम 15 में प्रथम लाइन में शब्द "भारत का नागरिक" के पश्चात निम्नलिखित शब्दों को जोड़ा जाएगा:-
"अथवा भारतीय मूल का व्यक्ति (पीआईओ) अथवा भारत का विदेशी नागरिक (ओसीआई)"

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) डा. पी.एन. अवस्थी, सचिव
[विज्ञापन-III/4/98/10-असा.]

**DENTAL COUNCIL OF INDIA
AMENDMENT NOTIFICATION**

New Delhi, the 7th December, 2010

No. DE-147-2010.—In exercise of the powers conferred by section 20 read with Section 10(4) or 10(5) of the Dentists Act, 1948 (16 of 1948), the Dental Council of India, with the previous approval of the Central Government, hereby makes the following Regulations to further amend the Principal "Dental Council of India Screening Test Regulations, 2009", published on 13th August, 2009 in Part - III, Section (4) of the Gazette of India, namely:-

1. **Short title and commencement:**

- (i) These regulations may be called the "Screening Test (1st Amendments) Regulations, 2010.
- (ii) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. In Regulation 2 under the heading "Definition" of the Principal Dental Council of India Screening Test Regulations, 2009, after sub-regulation (2), the following new sub-regulation (3) shall be inserted namely:-

- (3) The meaning of the words "Overseas Citizen of India" (OCI) and "Person of Indian Origin" (PIO) shall have the same meaning respectively as assigned to them under section 7A of the Citizenship Act, 1955 and the Scheme called "Scheme for issuance of Person of Indian Origin Card (PIO) Scheme 2002" notified by the Ministry of Home Affairs vide its notification No.26011/4/98-F.I dated 19.08.2002, as amended from time to time."
3. (i). In Regulation 4 under the heading "Applicability", after the word "Indian citizen" in the first line, the following words shall be inserted:-
 "or Person of Indian Origin (PIO) or Overseas Citizen of India (OCI)"
- (ii). In first, second and third proviso to Regulation 4, after the word "Indian students" in the first line, the following words shall be inserted:-
 "or Person of Indian Origin (PIO) or Overseas Citizen of India (OCI)"
- (iii). The proviso 3 to Regulations No. 4 of the Principal DCI Screening Test Regulations, 2009, notified and published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-III, Section 4 at Sl. No. 144 dated 13.8.2009 is hereby deleted.
4. The following provisions are hereby inserted at the end of clause (a) of the Regulation No. 5 of the Principal Dental Council of India Screening Test Regulations, 2009:-
 "and such institution must be listed either in the directory of World Health Organization (WHO) or General Dental Council, London."
5. In Regulation 5(a), after the word "citizen of India" in the first line, the following words shall be inserted:-
 "or Person of Indian Origin (PIO) or Overseas Citizen of India (OCI)"
6. In Regulation 8 under the heading "Fee Structure" of the Principal Dental Council of India Screening Test Regulations, 2009, after clause (d), the following new clause (e) shall be inserted namely:-
 "e) The "Fee" once remitted to the Dental Council of India by the applicant shall be refunded to those applicant who does not fulfil the eligibility criteria to appear in the Screening Test to be conducted by the prescribed authority as laid down in these Regulations or the application thereof is incomplete in terms of Regulations and scheme made thereunder by the concerned authorities from time to time."
7. In Regulation 15, after the word "citizen of India" in the first line, the following words shall be inserted:-
 "or Person of Indian Origin (PIO) or Overseas Citizen of India (OCI)"

Maj. Gen. (Retd.) Dr. P.N. AWASTHI, Secy.
 [ADVT. III/4/98/10-Exty.]